(राज. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

प्रधान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाना जिला बाड़मेर
(राजस्थान)

विषय : राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में ।

श्रीमान,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सांवरड़ा वाढ़ियाली की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2089 के खाता संख्या 61,112 व 15 में मेरा / हमारे नाम बाबूराम पुत्र नेमाराम बाबर राम पुत्र नेमाराम को अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम बाबर राम पुत्र नेमाराम है।

अतः उक्त दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

बाबूराम

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम बाबूराम पुत्र नेमाराम दर्ज है, जो अशुद्ध है। प्रार्थी के हिसाबात और दस्तावेजों में सही नाम बाबर राम पुत्र नेमाराम है। बाबूराम के स्थान पर बाबर राम लिखा जाना उचित है।

04/10/2025

प. सांवरा रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक के निरीक्षण अनुसार उपवर्णित दुरूस्ती किया जाना उचित हैं ।

GCMS - 2025/644

तहसीलदार समदड़ी 4/10/2025

आदेश

क्रमांक / 1645 / दिनांक 10/10/2025

नियमानुसार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सांवरड़ा वाढ़ियाली की जमाबन्दी संवत् 2077 से 80 के खाता संख्या 61,112 व 15 में बाबूराम पुत्र नेमाराम के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज बाबर राम पुत्र नेमाराम करने की स्वीकृति प्रदान

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.12.31 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Scanned with OKEN Scanner